

झारखण्ड सरकार
 (कृषि विभाग)
 कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल झारखण्ड राँची
 पत्रांक 113

प्रेषक,

नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
 झारखण्ड, राँची

सेवा मे,

मे. ०८६४१८०
 राँची

4873

राँची दिनांक ०८/३/१७

विषय:- आपके निर्माता/विक्रेता/मरम्मतिकर्ता अनुज्ञाप्ति संख्या २ का वर्ष २०१७ के लिए स्वीकृत/नवीकृत किए जाने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपके आवेदन पर विचार करते हुए इस शर्त पर यह अनुज्ञाप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जा रही है कि आप विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 23(2) तथा झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 के नियम 11(3) के अन्तर्गत प्रावधानों का तथा साथ ही अनुज्ञाप्ति के पीठ पर अंकित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे/आपका निर्माता/विक्रेता/मरम्मतिकर्ता अनुज्ञाप्ति संख्या २ का वर्ष २०१७ के लिए नवीकृत कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु०:-०१. मूल निर्माता/विक्रेता/मरम्मतिकर्ता

अनुज्ञाप्ति स०- २

०२. मूल मनी रसीद सं० ८६४१८०
 २२.१२.१६

विश्वासभाजन
 नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
 झारखण्ड, राँची
 दिनांक

ज्ञापांक.....

प्रतिलिपि:- १. संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान.....
 २. उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान.....
 ३. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान.....
 ४. निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान.....

को सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
 झारखण्ड, राँची

अनुसूची - III

{ नियम 11(3) देखिये }

अनुज्ञाप्ति प्ररूप

प्ररूप एल आर - 3

000087

नवीकृत

रु०८० - ८६४१८० रु० - १५०००



झारखण्ड सरकार

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के मरम्मत के लिए अनुज्ञाप्ति

अनुज्ञाप्ति संख्या ०२

वर्ष २००२

- विधिक माप विज्ञान नियंत्रक निम्नलिखित के मरम्मत के लिए मैदूरिरीवा चम्भ लोष राज्यीय रस० (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) को अनुज्ञाप्ति देता है : १। श्रीमती उमोत्सना लोष ८/०३१ संतीव कुमार लोष, दुमशालोली, चंडारगढ़, बौद्ध, बौद्ध। (यहाँ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की किस्म के ब्योरे दीजिए जिनकी पक्षकार द्वारा मरम्मत की जाने के लिए अनुज्ञाप्ति दी जाती है) अंडारण तंकी एवं फ्लो बीरर के मरम्मति द्वेष्।
- यह अनुज्ञाप्ति ऊपर नामित पक्षकार के लिए उसके दुमशालोली, चंडारगढ़, बौद्ध में स्थित कर्मशाला की बावत विधिमान्य है।
- यह अनुज्ञाप्ति निर्णित तिथि से ३१.१२.२०१५ तक विधिमान्य है।
- मरम्मतकर्ता नीचे दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञाप्ति रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी।
- पक्षकार को नीचे उल्लेखित क्षेत्र में बाटों, मापों, तौल और माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञाप्ति दी जाती है।

मुद्रा

स्थान संघी

तारीख २०.१२.२०१५

१। श्रीमती उमोत्सना लोष
नियंत्रक हस्ताक्षर द्वारा दिया गया।
विधिक माप विज्ञान, नियंत्रक।

नोट – फर्म की दशा में उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले सब व्यक्तियों के नाम पैरा-1 में दिए जाने चाहिए।